

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- प्रशि/मस्वाका/प-28/पार्ट-11/2011/2235

दिनांक:- 8/12/11


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर/भीलवाडा/टोंक/नागौर
भरतपुर/करौली/सोमा0/धौलपुर
बीकानेर/गंगानगर/चूरु(मु0 रतनगढ)/हनुमानगढ।
जयपुर-प्रथम/सीकर/अलवर/झुंझुनु/दौसा।
जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/बाँडमेर/जैसलमेर।
कोटा/झालावाड/बारां/बून्दी उदयपुर/बांसवाडा/
डूंगरपुर/चित्तौडगढ/राजसमंद।

विषय:-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रवेश हेतु निर्धारित काउन्सलिंग दिनांक 26.12.11 में विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के एक प्रतिशत आरक्षण बाबत।

सन्दर्भ:- पत्रांक प्रशि0/मस्वाका/प.28/पार्ट-11/11/2209 दिनांक 29.11.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय के सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में कुल 3090 सीटों के मध्यनजर रखते हुये विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः डूंगरपुर/बांसवाडा के अतिरिक्त अन्य सभी संभागीय / गैर संभागीय जिला मुख्यालयों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन संचालित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित काउन्सलिंग दिनांक 26.12.11 में विशेष पिछडा वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए एक-एक सीट आरक्षित रहेगी, जिसके लिये अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भांति तत्काल बुलावा पत्र/कट ऑफ मार्क्स जारी कर अनुपालना प्रतिवेदन भिजवाने का श्रम करें।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर